

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या-36 / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प-20 / 2010
देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2011
अधिसूचना

राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 58 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित व्यवस्थापन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये दस करोड़ तक के विलेख पर तथा दस करोड़ के अधिक विलेख पर रुपये तीन लाख किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण:- परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु दाता के पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती-पोती से है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

पत्रांक : 36(1) / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प-20 / 2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. न्याय/विधायी विभाग।
7. प्रतिलिपि उप-निदेशक लिथो प्रेस रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग-9 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करा दें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।